राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 430/2004
रतन लाल गौड़

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, पुलिस महानिरीक्षक कारागार, सेन्ट्रल जैल, जयपुर।
2. सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.05.2004
आदेश की दिनांक : 22.11.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय दत्त शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 17.05.2003 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अंतर्गत की गई जांच में आरोपित पाये जाने पर परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने का दण्ड दिया है। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग ने अंकित किया है कि उक्त आदेश को अपीलार्थी ने विभागीय अपील में चुनौती दी है, जो लम्बित है। हमारे मत में इस अधिकरण के समक्ष सीसीए नियम–17 के तहत दिये गये दण्ड को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 17.05.2003 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना खारिज की जाती है। अपीलार्थी ने यह भी अंकित किया है कि महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2003 (अनुलग्नक–3) में अपीलार्थी का नाम नहीं जोड़ा गया है, जिस कारण से अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है। अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 08.12.2003 को भी निरस्त किये जाने की भी प्रार्थना की है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक अर्जित करना

आवश्यक माना था, परंतु अपीलार्थी के 3.5 अंक कम थे, जिस कारण से अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई थी।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को पदोन्नति नहीं दिये जाने का उचित कारण दर्शाया है। अतः हम पदोन्नति आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)